नोटिस

धात्वीय खान विनियम, 1961, के तहत, विरष्ठ और किनष्ठ चिकित्सा परीक्षा, जो 23^{th} , 24^{th} , 26^{th} और 27^{th} मार्च, 2020 को विकास भवन, डी.जी.एम.एस (मु॰), धनबाद, में आयोजित होनी थी, नोवल कोरोना वायरस बीमारी के कारण, अगले आदेश तक स्थिगित कर दी गई थी।

सभी संबंधित अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है कि, खान अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बने विनियम एवं आदेशों द्वारा निर्धारित जिम्मेदारियों का निर्वाह करनें हेतु धात्वीय खान विनियम, 1961, के विनियम 31 के तहत, आवश्यक मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र के लिए, DGMS (Tech) (OH) परिपत्र संख्या 09 दिनांक 22.6.2020, में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पालन करें।

NOTICE

The Senior & Junior Medical Examination under the MMR, 1961, scheduled on 23th, 24th, 26th & 27th March, 2020, at Vikas Bhawan, DGMS (HQ), Dhanbad, were postponed till further order to avoid the spread of Noval Corona virus (COVID-19) disease.

This is to inform all concerned, that they are to follow the guidelines mentioned in the DGMS (Tech) (OH) Circular No. 09 of 2020 dated 22.6.2020, for Medical Certificate of fitness, as required under Regulation 31 of the MMR, 1961, in order to carryout respective duties as per the Act and the Regulations and the order made there under.

www.dgms.gov.in dated: 24-06-2020